

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 353]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 अगस्त 2020 — श्रावण 23, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 14 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2019/एक (1). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम (2) के सरल क्रमांक सात के कॉलम क्रमांक (3) में प्रविष्टि “चालीस” के तत्स्थानी कॉलम क्रमांक (4) में, शब्द “आयाकट विभाग” का लोप किया जाए।

उक्त नियमों की अनुसूची में, —

- शीर्षक “इकतीस—जल संसाधन विभाग” के अंतर्गत भाग (अ) “विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय” के सरल क्रमांक-7 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
“7-क. सिंचाई परियोजनाओं के अधीन सैच्य क्षेत्र विकास, जिसमें सिंचाई निकास कृषि, वानिकी तथा कृषि विकास पर आधारित उद्योग शामिल है।
7-ख. सैच्य क्षेत्र विकास।
7-ग. सड़कों तथा नहरों के किनारे वृक्षारोपण तथा सामाजिक वानिकी।
7-घ. सैच्य क्षेत्रों में नवीन मंडियों की स्थापना तथा विद्यमान मंडियों का विकास।
7-ङ. बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के सैच्य क्षेत्र के भीतर जोतों का समेकन तथा कृषि भूमि का विकास।”
- शीर्षक “इकतीस—जल संसाधन विभाग” के अंतर्गत भाग (ई) “अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम” के सरल क्रमांक-1 में, शब्द “मध्यप्रदेश उद्वहन सिंचाई निगम, भोपाल” का लोप किया जाये।
- शीर्षक “चालीस—आयाकट विभाग” तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.डी. सिंह, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 14 अगस्त 2020

क्रमांक एफ 1-1/2019/एक (1). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2019/एक (1), दिनांक 14-8-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.डी. सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 14th August 2020

NOTIFICATION

No. F 1-1/2019/1/One (1). — In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Government Business (Allocation) Rules, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In column number (4) corresponding to entry "Forty" in column number (3) of serial number Seven of rule (2), the words "Ayacut Department" shall be omitted.

In Schedule of the said rules,-

1. Under heading "Thirty one-Water Resources Department" after serial number 7 and entries relating thereto of Part (A) "Matters of Policy dealt within the Department", the following shall be added, namely :-
 - "7-a. Command area development under irrigation projects, which includes industries based on development of irrigation, drainage agriculture, forestry and Agriculture.
 - 7-b. Command area development.
 - 7-c. Planting trees and social forestry beside roads and canals.
 - 7-d. Establishment of new markets (Mandis) and development of existing mandis under command area.
 - 7-e. Consolidation of holdings and development of Agricultural land within command area of major and medium irrigation projects."
2. Under the heading "Thirty one-Water Resources Department", in serial number 1 of Part (D) "Boards and Corporation set up under Acts", the words "Madhya Pradesh Lift Irrigation Corporation, Bhopal" shall be omitted.
3. The heading "Forty-Ayacut Department" and entries relating thereto, shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D.D. SINGH, Secretary.